FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. लापला बनाम हनुमानराम वगैरा

किस्म मुकदमा .... नं. 282/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-9-2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/11/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बायतु	
30/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप...

क्रमांक/वाद/2021/1544
प्रार्थी

बनाम

1. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. लांपला तला पंचायत समिति, बायतु जिला ...

24/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण ...

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेरा से आये हुए है खेतो के बिच जो पुरानी मांडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेयामबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेयामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयामबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थर नेयामबन्दी मौके पर कमिशनर रूबरू जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1544 दिनांकः– 24/12/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. लांपला तला
पंचायत समिति, बायतु
जिला बाड़मेर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. हड़मानराम पुत्र राजूराम वगैरा 18
जाति जाट, निवासी लांपला तला,
पटवार मण्डल कोसरिया ,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 282 / 2021

आदेश

प्रार्थी के विद्यालय रा.उ.प्रा.वि. लांपला तला, पचांयत समिति बायतु की भूमि गैर मु. स्कूल व मैदान की खातेदारी मौजा – लापला, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 759 / 553, 758 / 553, 757 / 553 रकबा क्रमशः 0.4854, 0.1618, 0.3883 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी[redacted] का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी[redacted] के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
दिनांकः– 24/12/2021

क्रमांक / वाद / 2021 / 1545-1549

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. लांपला तला
4. विप्रार्थी श्री हड़मानराम पुत्र राजूराम वगैरा 18
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु